पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

सिoनo — 360/2024

1 मूर्ति देवी पत्नी अमीलाल जाति जट सिख निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ वादीया

बनाम

2. सोहनलाल पुत्र अमीलाल जाति जट सिख निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
3. देवीलाल पुत्र अमीलाल जाति जट सिख निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
4. माया देवी पुत्री अमीलाल पत्नी प्रेम कुमार जाति जट सिख निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री कुन्दनलाल व प्रतिवादी वकील विकास शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक न० 12 एफ.टी.पी.ए. जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान खाता स० 123/13 में अंकित कुल 3.441 हैक्टेयर भूमि में से स्व. अमीलाल के नाम अंकित 1/3 हिस्सा व चक 2 डी. पी. एम. जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के संयुक्त खाता स० 10/10 में अंकित कुल 0.253 हैक्टेयर भूमि में से स्व० अमीलाल के नाम अंकित 1/3 हिस्सा भूमि की वादीया खातेदार काश्तकार घोषित कर चक न0 चक न० 12 एफ.टी.पी.ए. जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान खाता स० 123/13 व चक न0 2 डीपीएम के खाता स0 10/10 में अमीलाल पुत्र रूलिया सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।

Scanned with CamScanner